न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 396 सन 2018

अनवान :–

1. मीरा पत्नी रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी झेदारार तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

वादीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :– 25/08/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएकट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 216/216 के खसरा न0. 616/577 की 3.5010हैक , 617/577 की 2.2530हैक भूमि सायला के नाम से दर्ज है जिसमें वादीया का नाम मीरा पुत्री खेमाराम दर्ज है

वादीया का नाम राजस्व रिकार्ड में भूमि विरास्तन से दर्ज करते समय पति के स्थान पर पिता का नाम दर्ज करने के कारण मीरा पुत्री खेमाराम दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम मीरा पत्नि रामेश्वरलाल है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात/जमाबन्दीयों में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैक पास बुक , पेन कार्ड , पानी बिल में सायला का नाम मीरा पत्नी रामेश्वरलाल दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 216/216 के खसरा न0. 616/577 की 3.5010हैक , 617/577 की 2.2530हैक भूमि में प्रार्थीया का नाम मीरा पुत्री खेमाराम दर्ज के स्थान पर मीरा पत्नि रामेश्वरलाल सशोधन करने के आदेश फरमावे।

वादीया का वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए वादीया का नाम संशोधन किया जाना उचित है ।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 216/216 के खसरा न0. 616/577 की 3.5010हैक , 617/577 की 2.2530हैक भूमि सायला के नाम से दर्ज है जिसमें सायला का नाम मीरा पुत्री खेमाराम दर्ज है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादीया का नाम राजस्व रिकार्ड में भूमि विरासतन से दर्ज करते समय पति के स्थान पर पिता का नाम दर्ज करने के कारण मीरा पुत्री खेमाराम दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम मीरा पत्नि रामेश्वरलाल है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात/जमाबन्दीयों में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैक पास बुक , पेन कार्ड , पानी बिल में सायला का नाम मीरा पत्नी रामेश्वरलाल दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया वादीया ने रोही मौजा देवासर के खाता की सायल खातेदार काश्तकार है जिसमें सायला का नाम मीरा पुत्री खेमाराम दर्ज है। वादी का कथन है कि उसका सही नाम मीरा पत्नी रामेश्वरलाल है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैक पास बुक , पेन कार्ड , पानी बिल सभी में सायला का नाम मीरा पत्नी रामेश्वरलाल दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है तथा सायला मीरा खेमाराम की पुत्री एवं रामेश्वरलाल की पत्नी है सायला समस्त रिकार्ड में ऐकरूकता करने के लिये अपने पिता के नाम के स्थान पर पति का नाम करवाना चाहती है जिसे संशोधन करने की अभिशंषा भी तहसीलदार राजस्व नोहर के द्वारा की गई है सायला अपने पिता के स्थान पर पति का नाम संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः वादीया का वाद साक्ष्य सबुतों एवं तहसीलदार नोहर की अभिशंषा के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 216/216 के खसरा न0. 616/577 की 3.5010हैक , 617/577 की 2.2530हैक भूमि में सायल का नाम मीरा पुत्री खेमाराम के स्थान पर मीरा पत्नि रामेश्वरलाल पुत्री खेमाराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डेर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. मीरा पत्नी रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी झेदारार तहसील रावतरार जिला हनुमानगढ।

वादीया

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 396सन 2018 निर्णय दिनांक–25/08/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 216/216 के खसरा न0. 616/577 की 3.5010हैक्, 617/577 की 2.2530हैक् भूमि में सायल का नाम मीरा पुत्री खेमाराम के स्थान पर मीरा पत्नि रामेश्वरलाल पुत्री खेमाराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner